न्यायालय अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर

अपील संख्याः 03/2018 (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

विपुल कुमार शर्मा, मकान नं. 21–21, चौधरी कॉलोनी, करतारपुरा, जयपुर। मो0–9828112583
...अपीलांट

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम) जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार
अधिनियम, 2005

दिनांकः 28.02.18

निर्णय

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत दिनांक 27.10.2017 का आवेदन–पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी कलेक्ट्रेट जयपुर को भिजवाया गया। उक्त आवेदन पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम कार्यालय से संबंधित होने से राज्य लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर ने अधिनियम की धारा 6(3) के अर्न्तगत उनके पत्रांक भू.अ./ई–2/आर.टी.आई./जयपुर/2017/11384–85 दिनांक 20.11. 2017 से अन्तरण किया गया। आवेदन में अंकित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील दिनांक 01.02.2018 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम) को अपील मीमों की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलांट स्वयं उपस्थित हुआ। अपीलांट को सुना गया। अपीलान्ट ने कथन किया कि प्रस्तुत प्रा.पत्र के अन्तर्गत मुझे सूचना प्राप्त हो गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

राज्य लोक सूचना अधिकारी,उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से अपील मीमो का जवाब/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

अपीलान्ट के कथन पर राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचना विधिवत तरीके से उपलब्ध कराये जाने से अपील में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं रहता है।

फलस्वरूप अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 28/2/18

(डा. मोहन लाल यादव)
अपीलीय अधिकारी,
अति.कलक्टर–प्रथम,जयपुर